

पालिका उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला नीलवाड़ा (राज०)
 पीठासीन-अधिकारी : श्री के. आर. धारन, P.A.S.
 संख्या 21 / 2018
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 123 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958
 उनवान

Shri. K. Ar. Dharan
Prarthana Patra
 वनाम - *प्राथी/प्राथीगण*
 जमीन नं. 316/10 *श्री. के. आर. धारन*
 विपक्षी - *हैल*
 विपक्षी/विपक्षीगण - *हैल*

प्रार्थी/प्राथीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1958 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्राथीगण के ग्राम *हैल* तहसील शाहपुरा/ *हैल* जिला नीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर *हैल* दिनांक 19/9/18

811 *जमीन 1-05 है*, 812 *जमीन 0-65 है*, 813 *जमीन 0-70 है*, 814 *जमीन 1-00 है*
 816 *जमीन 0-95 है* कुल किता *हैल* रकबा *4.43* हैक्टर का
 105 *प्राथी/प्राथीगण* खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त नूनि के
 2014 *विपक्षी/विपक्षीगण* पड़ोसी है। प्रार्थी/प्राथीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के
 0-04 सीनाचिन्ह नही होने से आये दिन सीना संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी
 करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सन्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही को जाकर बहस अनिमाषक प्रार्थी/प्राथीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम *हैल* संवत् 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्राथीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा *हैल* में स्थित प्रार्थी/प्राथीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता *हैल* रकबा *4.43* हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ *हैल* को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस *200* रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्राथीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ *हैल* मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी नौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। को सरे इजलास सुनाया गया।
 निर्णय आज दिनांक 19/9/18



(के. आर. धारन)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ *हैल* पास भेजकर लेख है कि *हैल* पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(के. आर. धारन)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (नीलवाड़ा)